उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्याः 374 / VII–3–23 / 04(01) / एम0एस0एम0ई0 / 2022
देहरादूनः दिनांक 22 फरवरी, 2023

अधिसूचना

उत्तराखण्ड प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री के वैकल्पिक उत्पादों के विनिर्माण हेतु नीति–2023

प्रस्तावनाः उत्तराखण्ड शासन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग की अधिसूचना संख्या 84/XXXVIII-1-20-13(11)/2001 दिनांक 16.02.2021 द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसमें किसी भी आकार, मोटाई माप व रंग के प्लास्टिक कैरी बैग (हैण्डल के साथ अथवा बिना हैण्डल के) और नॉन–वोवन पॉली प्रोपाईलिन बैग, थर्मोकोल (पॉलीस्टायरीन), पॉलीयुरेथेन, स्टायरोफोम और इसी तरह के बने एकल उपयोग के डिसपोजेबल कटलरी या प्लास्टिक जैसे प्लेट ट्रे, कटोरे, कप, गिलास, चम्मच, कांटा, स्ट्रा, चाकू, स्ट्रिर आदि, चाहें वे किसी भी आकार व प्रकार के हों, के उत्पादन, क्रय–विक्रय, आयात, भण्डारण, उपयोग व आपूर्ति सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में प्रतिबन्धित की गयी है।

इसके अतिरिक्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्याः–सा0का0नि 571(अ) दिनांक 12 अगस्त, 2021 के द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2022 से पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की इंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की स्टिक, पॉलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द–गिर्द लपटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्रिर आदि के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को भी प्रतिबन्धित किया गया है।

सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग, भण्डारण, विनिर्माण, क्रय–विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाये जाने से राज्य में इन उत्पादों के निर्माण में संलग्न इकाईयों में उत्पादन कार्य बन्द हो गया है और इन इकाईयों में सृजित रोजगार भी इससे प्रभावित हुआ है। इसको दृष्टिगत रखते हुए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रदूषण से निपटने और एकल उपयोग प्लास्टिक के उन्मूलन के क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देकर सिंगल यूज प्लास्टिक (एकल उपयोग प्लास्टिक) के विकल्प (Alternatives) के रूप में **अनुबन्ध–1** में दिये गये उत्पादों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 (समय–समय पर यथासंशोधित) में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों के अतिरिक्त टॉप–अप सहायता के रूप में कुछ अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

अतः एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध से प्रभावित इकाइयों को वैकल्पिक या गैर–प्रतिबंधित उत्पादों की नई इकाइयों की स्थापना अथवा मौजूदा इकाई के विविधीकरण (Diversification) को प्रोत्साहित करने के लिए **उत्तराखण्ड प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री के वैकल्पिक उत्पादों के विनिर्माण हेतु नीति–2023** प्रस्तावित की जा रही है।

1335
23/2/23

उद्देश्यः

- प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पाद के निर्माण में लगे हुए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना।
- बाजार में एकल–उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों के प्रचलन को समाप्त करना।
- हरित उत्पादों, बायोप्लास्टिक्स, बायो–डिग्रेडेबल प्लास्टिक्स/कम्पोस्टेबल प्लास्टिक्स, ऑक्सो–डिग्रेडेबल प्लास्टिक्स तथा कृषि अवशेष से बनी पैकेजिंग सामग्री/कैरी बैग आदि के उपयोग हेतु जागरूकता पैदा करना।
- 'प्लास्टिक मूल्य श्रृंखला' में मौजूदा इकाइयों के लिए प्रौद्योगिकी में बदलाव।
- प्लास्टिक उद्योग में कच्चे माल के उत्पादन से प्लास्टिक के निपटान तक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।
- वैकल्पिक प्लास्टिक के विकल्पों में नवाचार को बढ़ावा देकर अनुसंधान और अवसंरचना ढांचे की स्थापना।

नीति की वैधता अवधिः

यह नीति अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी तथा आगामी पांच वर्षों तक प्रभावी रहेगी।

पात्रता/अनिवार्य अपेक्षाः

- भारत सरकार/उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रतिबन्धित/प्रतिषेध सिंगल यूज प्लास्टिक विनिर्माणक, प्रतिबन्ध प्रभावित इकाइयां।
- सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के विनिर्माण के लिए इनपुट सामग्री/मध्यवर्ती सामग्री का निर्माण करने वाली इकाईयां।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत ईएम पार्ट–2/उद्योग आधार/उद्यम रजिस्ट्रेशन की अभिस्वीकृति प्राप्त की हो।
- माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत राज्य में पंजीकरण होना आवश्यक होगा।
- उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उद्यम स्थापना/उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए सहमति प्राप्त की हो।

प्रभावित अर्ह इकाईयों को वित्तीय प्रोत्साहनः

प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान में विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के चिन्हित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, 2015 (समय–समय पर यथासंशोधित) नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों में से निम्न मदों में टॉप–अप के रूप में अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाने का प्रस्ताव हैः

सिंगल यूज प्लास्टिक विनिर्माणक वे इकाईयां, जो प्रतिबन्ध के कारण प्रभावित हुई हैं, को वैकल्पिक उत्पाद के निर्माण हेतु क्रय किये गये नये प्लाण्ट व मशीनरी पर एमएसएमई नीति, 2015 में प्रदत्त पूंजी निवेश

सहायता तथा ब्याज उपादान सहायता के साथ ही इन मदों में इस नीति में प्रदत्त टॉप–अप सहायता का लाभ अनुमन्य होगा।

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता:–** उद्यम के प्लांट व मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में किये गये अचल पूंजी निवेश पर वर्गीकृत श्रेणियों के अनुसार एमएसएमई नीति में प्रदत्त निवेश प्रोत्साहन सहायता के अतिरिक्त टॉप–अप के रूप में अतिरिक्त प्रोत्साहन सहायता निम्नानुसार दी जायेगी:

क्र. सं.	जनपद/क्षेत्र का वर्गीकरण	एमएसएमई नीति में प्रदत्त निवेश प्रोत्साहन सहायता की अधिकतम सीमा/मात्रा	सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन में लगी हुई प्रतिबन्धित इकाई को टॉप–अप के रूप में प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त प्रोत्साहन सहायता की मात्रा/सीमा
1.	श्रेणी– ए	40 प्रतिशत (अधिकतम रू. 40 लाख)	10 प्रतिशत (अधिकतम रू. 10 लाख)
2.	श्रेणी– बी व बी+	35 प्रतिशत (अधिकतम रू. 35 लाख)	10 प्रतिशत (अधिकतम रू. 10 लाख)
3.	श्रेणी– सी	30 प्रतिशत (अधिकतम रू. 30 लाख)	10 प्रतिशत (अधिकतम रू. 10 लाख)
4.	श्रेणी– डी	15 प्रतिशत (अधिकतम रू. 15 लाख)	10 प्रतिशत (अधिकतम रू. 10 लाख)

2. **ब्याज उपादान:–** उद्यम की स्थापना के लिए वित्तीय संस्था/बैंक से लिए गये सावधि ऋण पर देय ब्याज में एमएसएमई नीति में प्रदत्त ब्याज उपादान के अतिरिक्त टॉप–अप के रूप में निम्नानुसार अतिरिक्त ब्याज प्रोत्साहन सहायता दी जायेगी:

क्र. सं.	श्रेणी	एमएसएमई नीति में प्रदत्त ब्याज प्रोत्साहन सहायता की अधिकतम मात्रा/सीमा	सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन में लगी हुई प्रतिबन्धित इकाई को टॉप–अप के रूप में प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त ब्याज प्रोत्साहन सहायता की मात्रा/सीमा
1.	श्रेणी– ए	10 प्रतिशत अधिकतम रू. 08 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)	–
2.	श्रेणी–बी एवं बी+	08 प्रतिशत (अधिकतम रू. 06 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)	–
3.	श्रेणी– सी	06 प्रतिशत (अधिकतम रू. 04 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)	एमएसएमई नीति, 2015 (समय–समय पर यथासंशोधित) में निर्धारित ब्याज उपादान दर की सीमा में, अधिकतम रू. 01 लाख/प्रतिवर्ष/प्रतिइकाई।
4.	श्रेणी– डी	05 प्रतिशत (अधिकतम रू. 03 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)	एमएसएमई नीति, 2015 (समय–समय पर यथासंशोधित) में निर्धारित ब्याज उपादान दर की सीमा में, अधिकतम रू. 02 लाख/प्रतिवर्ष/प्रतिइकाई।

3. **एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति** : उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 16.02.2021 तथा भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त, 2021 से प्रभावित इकाईयों को वैकल्पिक उत्पाद के विनिर्माण हेतु विद्यमान उद्यम के विविधीकरण अथवा नये उद्यम की स्थापना हेतु नये प्लाण्ट व मशीनरी की खरीद पर देय जीएसटी में से राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले कुल सकल एसजीएसटी (आईटीसी के समायोजन के उपरान्त) में से 20 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति सहायता दी जायेगी।

इन सुविधाओं का लाभ मात्र उन इकाईयों को उपलब्ध होगा, जिन्हें केन्द्र/राज्य सरकार के प्रतिबन्ध आदेश के कारण बन्द कर दिया गया है।

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव।

अनुबन्ध–1

नीति आयोग द्वारा "प्लास्टिक और उनके अनुप्रयोगों के लिए वैकल्पिक उत्पाद और प्रौद्योगिकी" में परिभाषित उद्यम

ऐसे उत्पाद, जिनमें निम्नलिखित कच्चेमाल का उपयोग किया जाता है	पॉलीमर	सामान्य बायोमास श्रोत	सामान्य उपयोगों के उदाहरण
कपास	सेल्यूलोज	कपास का पौधा (गॉस्पियम एसपी.)	वस्त्र, अन्य कपड़े
हैम्प	सेल्यूलोज	हैम्प (कैनेबिस सेटीवा)	वस्त्र, अन्य कपड़े
फ्लैक्स/लिनेन	सेल्यूलोज	फ्लैक्स/लिन्सीड (लिनम यूसीटेटीसिमम)	वस्त्र, अन्य कपड़े
जूट	सेल्यूलोज एवं लिग्निन	(कॉरकोरस एसपी.)	बोरे, कालीन, कपड़े, रस्सी, अन्य कपड़े
कॉयर फाइबर	सेल्यूलोज एवं लिग्निन	नारियल (बाहरी खोल)	चटाई, ब्रश, बोरी, रस्सी, मछली पकड़ने के जाल
रैमे	सेल्यूलोज	चाइना ग्रास (बोहमेरिया नीविया)	वस्त्र, अन्य कपड़े, औद्योगिक सिलाई धागा
अबाका/मनीला हैम्प	सेल्यूलोज, लिग्निन एवं पेक्टिन	केला (मूसा टेक्सटीलिस, अखाद्य)	टी बैग, बैंकनोट, चटाई, रस्सी
पिना	सेल्यूलोज एवं लिग्निन	अनानास का पत्ता (अनानास कोमोसस)	वस्त्र, अन्य कपड़े
सिसल		(अगावे सिसलाना)	कपड़ा, बैग, रस्सी, सुतली

अन्य वैकल्पिक उत्पाद:

1. जैवप्लास्टिक्स।
2. बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक।
3. कम्पोस्टेबल प्लास्टिक।
4. ऑक्सो–डिग्रेडेबल/ऑक्सीडिग्रेडेबल/ऑक्सी–बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स।
5. कृषि अवशेषों, गत्ते और कागज से बनी कटलरी।
6. राम बांस से बनी वस्तुएं।
7. प्राकृतिक रेशों से बनी वस्तुएं।
8. केले की पत्तियों से बनी वस्तुएं।

संख्या:374 / VII-3-23 / 04(01)–एम0एस0एम0ई0 / 2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल / कुमाऊ, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक / आयुक्त, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6. प्रबंध निदेशक, सिडकुल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
8. अपर निदेशक राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जनपद हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त को आगामी गजट में प्रकाशित करते हुए, 50 प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड शासन।
10. वित्त (व्यय एवं नियंत्रण) अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(महावीर सिंह परमार)
अनु सचिव।

In pursuance of the provision of the Clause (3) of article 348 of the constitution of India, the Governor is pleased to order the translation of policy notification no. /VII-3-23/04(01)-MSME/2022 dated February, 2023.

Government of Uttarakhand
Micro, Small & Medium Enterprises Section
No:३१५ /VII-3-23/04(01)-MSME/2022
Dehradun, Dated: २२ February, 2023

Office Memorandum

The Uttarakhand manufacturing of alternative products of banned single use plastic material policy, 2023.

Introduction:

Single use plastic, in which Production, purchase, sale, import, storage, use and supply of any kind and size of plastic carry bags (with or without handles) of any size, thickness measurement and colour and single-use disposable cutlery made of non-woven poly propylene bags, thermocol (polystyrene), polyurethane, styrofoam and similar product or plastic such as plate trays, bowls, cups, glasses, spoons, forks, straws, knives, stirrers, etc., have been banned in the entire state of Uttarakhand vide Government of Uttarakhand, Environment Protection and Climate Change Section's notification number 84/XXXVIII-1-20-13(11)/2001 dated 16.02.2021.

In addition, by notification no. G.S.R. 571(E) dated August 12, 2021, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, with the effect from July 01, 2022, has also been prohibited polystyrene and expanded polystyrene items including ear buds with plastic sticks, plastic India for balloons, plastic flags, Candy sticks, ice cream sticks, decorative materials of polystyrene (Thermocol), cutlery such as plates, cups, glasses, forks, spoons, knives, straws, trays, wrapping or packing films for sweet boxes, invitation cards and The manufacture, import, storage, distribution, sale and use of cigarette packets, plastic or PVC banners, strips, etc. of thickness less than 100 microns.

Due to the ban on the use, storage, manufacturing, purchase and sale of single use plastic products, the production work has stopped in the units involved in the manufacture of these products in the state and the employment generated in these units has also been affected. Keeping this in view, to deal with plastic waste pollution and to promote innovation and entrepreneurship in the field of elimination of single use plastic and to encourage manufacturing of products given in Annexure-1 as alternatives to single use plastic. There is a need to provide some additional financial incentives in the form of top-up assistance in addition to the financial incentives provided in the Micro, Small and Medium Enterprises Policy-2015 (as amended from time to time).

Therefore, to encourage units affected by single use plastic ban to set up new units of alternative or non-restricted products or to encourage diversification of existing units, The Uttarakhand manufacturing alternative products of banned single use plastic material, policy-2023 is being proposed.

Objective:

- To encourage entrepreneurs engaged in the manufacture of alternative products to plastic.
- To eliminate the prevalence of single-use plastic products in the market.

- To create awareness for the use of green products, bioplastics, bio-degradable plastics/compostable plastics, oxo-degradable plastics and packaging materials/carry bags made from Agri-residues etc.
- Technology shift for existing units in the 'Plastics Value Chain'.
- Promotion of circular economy in the plastics industry from raw material production to disposal of plastics.
- Establishment of research and analysis infrastructure by promoting innovation in single use plastic alternatives.

Policy validity period:

This policy will come into force from the date of issue of the notification and will be effective for the next five years.

Eligibility / Mandatory Requirement:

- Units affected by ban on manufacturing of single use plastic imposed by Government of India/Government of Uttarakhand, ban affected units.
- Units manufacturing input material/intermediate material for manufacturing single use plastic products.
- Under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, EM Part-2 / Udyog Aadhaar / Acknowledgment of Enterprise Registration has been obtained.
- Under the Goods and Services Tax Act, 2017, it will be necessary to register in the state.
- Consent has been obtained from the Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board for setting up the enterprise/starting production.

Financial incentives to affected eligible units:

Under State's Micro, Small and and Medium enterprises Policy, 2015 (as amended time to time), to encourage the establishment of micro, small and medium enterprises in the state and to encourage the establishment of currently identified micro, small and medium enterprises in the manufacturing and service sector, it is proposed to give additional financial incentives in the form of top-up apart from the financial incentives provided in the policy to the following items:

Units of single-use plastic manufacturing, which have been affected due to the ban, along with the capital investment assistance and interest subvention assistance provided in the MSME Policy, 2015 on the purchase of new plant and machinery for the manufacture of alternative products, these items will also be included in this policy. The benefit of top-up assistance will be provided as under.

1. **Investment Promotion Assistance: -** According to classified category on immovable capital investment done in plant and machinery of Industries and workshop building, in addition to the investment promotion assistance provided in the MSME policy, additional incentive assistance in Form of additional top up shall be given as follows:

S.No.	Classification of District/Area	Maximum limit/quantity of investment promotion assistance provided in MSME policy	Quantum/extent of additional incentive assistance to be provided as top-up to the banned unit engaged in the production of single use plastic
1.	**Category-A**	40% (Max Rs. 40 Lakh)	10% (Max Rs. 10 Lakh)

2.	**Category-B & B+**	35% (Max Rs. 35 Lakh)	10% (Max Rs. 10 Lakh)
3.	**Category-C**	30% (Max Rs. 30 Lakh)	10% (Max Rs. 10 Lakh)
4.	**Category-D**	15% (Max Rs. 15 Lakh)	10% (Max Rs. 10 Lakh)

2. **Interest Subsidy:** - In addition to the interest subvention provided in the MSME policy, additional interest incentive assistance will be given as a top-up in the interest payable on the term loan taken from the financial institution/bank for the establishment of the enterprise as follows:

S.No.	Category	Maximum amount / limit of interest incentive assistance provided in MSME policy	Quantum/extent of additional interest incentive assistance to be provided as top-up to the banned unit engaged in the production of single use plastic
1.	**Category-A**	10% (maximum Rs. 08 lakh/annum/unit)	-
2.	**Category-B & B+**	08 % maximum Rs. 06 lakh/annum/unit)	-
3.	**Category-C**	06 % (maximum Rs. 04 lakh/annum/unit)	Within the limit of interest subvention rate prescribed in MSME Policy, 2015 (as amended time to time), a maximum of Rs. 01 lakh/annum/per unit.
4.	**Category-D**	05 % (maximum Rs. 03 lakh/annum/unit)	Within the limit of interest subvention rate prescribed in MSME Policy, 2015 (as amended time to time), a maximum of Rs. 02 lakh/annum/per unit.

3. **Reimbursement of SGST:**The units affected by the Government of Uttarakhand Notification dated 16.02.2021 and Government of India notification dated August 12, 2021, shall be given reimbursement assistance of 20 percent of the total gross SGST(After adjustment of ITC) to be received by the state government out of the GST payable on the purchase of new plant and machinery for the diversification of the existing enterprise or for the establishment of a new enterprise for the manufacture of alternative products.

The benefit of these facilities shall be available only to those units, which have been closed due to the ban order of the Central / State Government.

By order,

(Dr. Pankaj Kumar Pandey)
Secretary.

Enterprises as defined by NITI Aayog in "Alternative Products and Technologies for Plastics and their Applications"

Products in which the following raw materials are used	**Polymers**	**Common Biomass source**	**Examples of common usage**
Cotton	Cellulose	Cotton plant (Gossypium sp.)	Clothing, other fabrics
Hemp	Cellulose	Hemp (Cannabis sativa)	Clothing, other fabrics
Flax/Linen	Cellulose	Flax/linseed (Linumusitatissimum)	Clothing, other fabrics
Jute	Cellulose & lignin	(Corchorus sp.)	Sacks, carpets, clothing, rope, other fabrics
Coir fibre	Cellulose & lignin	Coconut (outer shell)	Mats, brushes, sacking, rope, fishing nets
Ramie	Cellulose	China grass (Boehmeria nivea)	Clothing, other fabrics, industrial sewing thread
Abaca/Manila hemp	Cellulose, lignin & pectin	Banana (Musa textilis, inedible)	Tea bags, banknotes, matting, rope
Pina	Cellulose & lignin	Pineapple leaf (Ananas comosus)	Clothing, other fabrics
Sisal		(Agave sislana)	Textiles, bags, rope, twine

Other Optional Products:

1. Bio-plastics.
2. Bio-degradable Plastic.
3. Compostable Plastics.
4. Oxo-degradable/Oxy-degradable/Oxy-biodegradable plastics.
5. Cutlery made from agricultural residues, cardboard and paper.
6. Items made of Ram Bamboo.
7. Articles made from natural fibers.
8. Articles made from banana leaves.

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. The PS to Chief Secretary, Uttarakhand.
2. To All The Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary, Uttarakhand.
3. Commissioner Garhwal/Kumaon, Uttarakhand.
4. Director General/ Commissioner Industries, Directorate of Industries, Dehradun.
5. Managing Director, Sidcul, Uttarakhand.
6. All District Magistrate, Uttarakhand.
7. Additional Director, Government Printing Press, Roorkee, Haridwar to Gazette and Supply 100 Copies to this Department.
8. Director Industries, Directorate of Industries, Dehradun.
9. Office File.

By order,

(Mahaveer Singh Parmaar)
Under Secretary.